

24/2/20

पत्र माली पेश हुई। वसुलार फर्किन उफो।  
प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबल डाल्याई पिपेधावा।  
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
साबित न होने पर ज्वरिज किमाजाला है।  
मिर्जा प्रथक सेंटे किन करवाया जाकर  
सेरे इजलास जुनाभा गमा व शामिल मिलल  
किमा गमा। पत्र माली फेरल शुभाहोषल  
नम्बर से कप होकर पाषिल फेरल है।

